केन्द्रीय विद्यालय पन्ना (म.प्र.) – 488001

शिक्षण सत्र 2022–23 के लिए कक्षा I (प्रथम) में प्रवेश हेतु प्रावधानिक चयनित सूची के बच्चों के माता/पिता/वैध अभिभावकों के लिए आवश्यक सूचना

दिनांकः 07.04.2022

केन्द्रीय विद्यालय पन्ना में शिक्षण सत्र 2022–23 के लिए कक्षा 01 (प्रथम) में प्रवेश हेतु प्रावधानिक रूप से चयनित बच्चों के माता/पिता/वैध अभिभावक विद्यालय प्रवेश विभाग में/प्राचार्य के समक्ष प्रवेश हेतु पंजीयन में दी गई **निम्नलिखित प्रकार से जानकारी एवं दस्तावेज/प्रमाण साथ लाकर उनका सत्यापन दिनांक 19.04.2022 से दिनांक 23.04.2022 तक पूर्वान्ह 08:00 बजे से अपरान्ह 01:30 बजे तक कराकर उन्हे जमा कर निर्धारित शुल्क रू0 1525/– शिक्षा के अधिकार (RTE) के अंतर्गत चयनित को छोडकर अन्य सभी, यूबीआई फीस पोर्टल पर ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा कराकर अपने पाल्य छात्र–छात्रा का कक्षा 1 में प्रवेश सुनिश्चित करें** :

केन्द्रीय विद्यालय पन्ना की बेबसाइटः **panna.kvs.ac.in** के **Announcements** सेक्शन से **Admission Form** डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् **प्रवेश हेतु पंजीयन फार्म का प्रिंटआउट** प्रवेशार्थी बच्चे के नवीन रंगीन **01 फोटोग्राफ** सहित को एडमिशन फार्म के नीचे संलग्न करके प्रवेशार्थी बच्चे का मान्य प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी **जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति**, प्रवेशार्थी बच्चे के **आधार नम्बर** का प्रमाण , प्रवेशार्थी बच्चे का **ब्लड ग्रुप** प्रमाण, प्रवेशार्थी बच्चे का **समग्र आई. डी.** नम्बर की छायाप्रति, **एकल पुत्री संतान (Single Girl Child)** से संबंधित माता/पिता द्वारा रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र, **दिव्यांग** छात्र–छात्रा के दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छायाप्रति, **बी.पी.एल./EWS केटेगरी** से सम्बन्धित माता/पिता/वैध अभिभावकों के लिये उनके नाम जारी वैध प्रमाण की छायाप्रति, माता–पिता की आय का प्रमाण पत्र, **SC/ST/OBC-NCL केटेगरी** से सम्बन्धित बच्चों के माता/पिता/वैध अभिभावकों के लिये अपने नाम से अथवा बच्चे के नाम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण की छायाप्रति, यदि प्रवेशार्थी बच्चे के माता/पिता/वैध अभिभावक **केन्द्र अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी** हैं तो वे अपने नाम पर **निर्धारित प्रारूप** (संलग्न) में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी **सेवा प्रमाण पत्र**, यदि प्रवेशार्थी बच्चे के माता/पिता/वैध अभिभावक **केन्द्र अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी** हैं तो वे अपने नाम पर निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी **पिछले 07 वर्षो में हुये स्थानान्तरणों का विवरण** एवं **प्रमाण**, पन्ना (म.प्र.) में बच्चे एवं उसके माता/पिता/वैध अभिभावक के **निवास का प्रमाण** जैसे–राशन कार्ड, बिजली बिल, रसोई गैस कनेक्शन प्रमाण, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि में से कोई 01 प्रमाण की छायाप्रति आदि सभी संलग्नकों सहित जमा करें । साथ ही उपरोक्त सभी सम्बंधित संलग्नकों की मूल प्रति सत्यापन हेतु साथ में लायें।

कृपया कोरोना वायरस महामारी (कोविड–19) की रोकथाम एवं संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार, म0प्र0 सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

प्राचार्य